संख्या 111 /VI-1/2008-2(15) 2007 TC

प्रेषक,

एस0एस0वल्दियार,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग: देहरादून दिनांक 16 अप्रैल 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय व्ययक में खेल विभाग के में वचनबद्ध मदों में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्र संख्या-267/XXVII (I)/2008, दिनांक- 27 मार्च 2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक में आयोजनेत्तर पक्ष में वचनबद्ध मदों में प्राविधानित धनराशि में रू0 2,19,30000.00 (रूपये दो करोड़ उन्नीस लाख तीस हजार मात्र) निम्न विवरणानुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुदान संख्या -11
लेखाशीर्षक -2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें
001-निदेशन तथा प्रशासन
04- प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण

आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपये में)

क0सं0	मानक मद	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1.	01- वेतन	5500
2.	02- मजदूरी	6000
3.	03- महगाई भत्ते	4125
4.	06- अन्य भत्ते	605
5.	07- मानदेय	50
6.	08-कार्यालय व्यय	1000
7.	09- विद्युत देय	300
8.	10- जलकर/जलप्रभार	50
9.	11-लेखन सामग्री/फार्मो की छपाई	150
10.	13- टेलीफोन	250
11.	15- गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	600
12.	17- किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	200
13.	27- चिकित्सा प्रतिपूर्ति	350
14.	48-महगाई वेतन	2750
	योग-	21930

2. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों

के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3. धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2008–09 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक – 2204 के उपरोक्त अंकित तालिका के अनुसार संगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

5 .इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–267/XXVI(1)दिनांक 27.3.2008 के नियमों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय

(एस०एस०वल्दिया)
उप सचिव

पृष्ठांकन संख्या:–111 /VI-I/2008–2(5) 2007TC तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन0आई0सी0, देहरादून।
7– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनुसचिव